निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक— /बा0वि0परि0/स्निप/2016—17 दिनाँक: 27 मई, 2016

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
अलीगढ़, इलाहाबाद, औरया, आजमगढ़, बागपत, बाँदा, बाराबंकी,
बुलन्दशहर,चन्दौली, चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद,
गाजीपुर,हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झाँसी, अमरोहा, कानपुर देहात, कानपुर नगर,
कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर,
पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, संतकबीरनगर, संतरविदास नगर,
सिद्धार्थनगर तथा उन्नाव।

विषय— आई0एस0एस0एन0आई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अनुमानित व्यय के अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

पत्र के साथ संलग्न शासनादेश संख्या—32/2016/1546/60—2—16—2/3(6)/13 दिनाँक 26.05.2016 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपके जनपद हेतु संलग्न विवरणानुसार प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र पर रू0 250.00 प्रतिमाह की दर से मई—2016 में एक गतिविधि एवं जून—2016 में दो गतिविधि अर्थात 03 समुदाय आधारित गतिविधियों हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि का अग्रिम आहरण करते हुये ऑगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खातें में प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर करते हुये भारत सरकार एवं निदेशालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम आदि का सुचारू संचालन करना सुनिश्चित करायें। भारत सरकार के पत्र दिनाँक 19.04.2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के लिये निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पादित किया जाये। कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये प्रत्येक कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था की जाये तथा नियमानुसार पृथक रूप से अभिलेख रखा जाये। प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये तथा 02 कार्यक्रम के बीच पन्द्रह दिन का अन्तराल अवश्य हो, के दृष्टिगत अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु 10 जून—2016 (शुक्रवार) एवं 25 जून—2016 (शनिवार) निर्धारित किया जा रहा है। इस प्रकार माह जून—2016 तक 02 समुदाय आधारित गतिविधियों कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया

जा—

जायेगा। अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन प्रतिमाह नियमानुसार समय से कराते हुये भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित प्रारूपों पर स्तरवार सूचना संकलित कर जे0पी0सी0 (स्निप), मुख्यालय को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा वित्तीय वर्ष में आहरित धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में दिनॉक 31 जुलाई, 2016 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

<u>पृष्ठॉकन संख्या: C-264 /तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4– ज्वाईन्ट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (स्निप), मुख्यालय।
5– उपनिदेशक, मुख्यालय को इस आशय से कि संलग्नकों सहित इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक